न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.10.2024	सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक दौसा बनाम पप्पूराम पुत्र कन्हैयालाल मीना किस्म मुकदमा : इस्तगासा अन्तर्गत गुण्डा एक्ट मु0नं0 07/2019 पत्रावली पेश हुई। लोक अभियोजक उपस्थित। गैर सायल अथवा अधिवक्ता गैर सायल बहस के दौरान उपस्थित नहीं आये। गैर सायल द्वारा पूर्व में जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जा चुका है। थानाधिकारी पुलिस थाना कोलवा जिला दौसा के पत्र क्रमांक 3780 दिनांक 23.10.2024 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार गैर सायल पप्पूराम पुत्र कन्हैयालाल मीना वर्तमान में जमानत पर है तथा गैर सायल की गतिविधियां वर्तमान में शान्त है। गैर सायल के विरूद्ध गत 8 वर्ष पूर्व प्रकरण दर्ज हुआ था। गैर सायल वर्तमान में खेती एवं बकरी चराने का कार्य कर रहा है। गैर सायल द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि गैर सायल के विरूद्ध दर्ज प्रकरणों में गैर सायल को अर्थदण्ड से दण्डित किया जाकर गैर सायल के विरूद्ध दर्ज प्रकरणों का निस्तारण हो चुका है। गैर सायल द्वारा वर्तमान में किसी प्रकार की आपराधिक गतिविधि मे लिप्त नहीं है और ना ही भविष्य में लिप्त रहेगा व्यक्त किया गया है। पत्रावली का अवलोकन किया। लोक अभियोजक की बहस, थानाधिकारी पुलिस थाना कोलवा से प्राप्त रिपोर्ट एवं गैर सायल द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र पर मनन किया। थानाधिकारी पुलिस थाना कोलवा से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार गैर सायल के विरूद्ध 8 वर्ष पूर्व प्रकरण दर्ज हुआ था। गैर सायल की वर्तमान में गतिविधियां शान्त है। गैर सायल वर्तमान में खेती एवं बकरी चराने का कार्य कर रहा है। गैर सायल द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वर्तमान में किसी प्रकार की आपराधिक गतिविधि मे लिप्त नहीं होना और ना ही भविष्य में लिप्त रहना व्यक्त किया गया है। गैर सायल की वर्तमान गतिविधियों को मध्यनजर रखते हुये गैर सायल के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने का औचित्य नहीं है। अतः गैर सायल पप्पूराम पुत्र कन्हैयालाल मीना निवासी भांवता थाना कोलवा जिला दौसा वार्ड नम्बर 15 बांदीकुई जिला दौसा के विरूद्ध जिला पुलिस अधीक्षक दौसा द्वारा प्रस्तुत किया गया इस्तगासा इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि यदि भविष्य में गैर सायल की गतिविधियां गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत समाज विरोधी पाई जाती है तो पुनः गैर सायल के विरूद्ध गुण्डा एक्ट में कार्यवाही हेतु इस्तगासा न्यायालय में प्रस्तुत किया जावे। जिला पुलिस अधीक्षक दौसा को निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार की जावे। निर्णय आज दिनांक 25.10.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया। (सुमित्रा पारीक) अति. जिला मजिस्ट्रेट ,दौसा Signature Not Verified Digitally signed by Sumitra Pareek Date: 2024.12.19 16:49:38 IST Reason: SelfAttested	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official